भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1180
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

न्यूनतम मजदूरी के लिए मानदंड

1180. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्तमान दैनिक मजदूरी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी और कार्य के घंटे निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का न्यूनतम मजदूरी और कार्य के घंटे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त श्रमिकों को एक माह में उपलब्ध कराए जा रहे कार्य दिवस की संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं , को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। महात्मा गांधी नरेगा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराना , जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन हो सके;

(ii) गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना;

(iii) सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना

(iv) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना

(ख): पंजाब और हरियाणा सहित चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार मजदूरी दरें **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) 2005 के भाग 6(1) के अनुसार केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। भारत सरकार वर्ष 2011-12 से कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके मजदूरी दरों का निर्धारण कर रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर में संशोधन करता है। **श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा अधिसूचित यह सूचकांक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है।** यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चालू वर्ष के लिए सूचकांक के अनुसार गणना की गई मजदूरी दर, पिछले वर्ष की मजदूरी दर से कम है , तो उसे पिछले वर्ष की मजदूरी दर को बनाए रखते हुए संरक्षित किया जा रहा है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होती है। **हालाँकि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।**

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची -I के पैरा 19(क) एवं (ख) के अनुसार, "विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची तय की जाएगी , ताकि एक वयस्क व्यक्ति आठ घंटे कार्य करे, जिसमें एक घंटा विश्राम भी शामिल हो , तो उसे निर्धारित मजदूरी दर के बराबर मजदूरी मिलेगी तथा एक वयस्क श्रमिक के कार्य घंटे अनुकूल होंगे , लेकिन किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे।"

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के कार्य घंटों में परिवर्तन के संबंध में वर्तमान में इस मंत्रालय में कोई योजना नहीं है।

(ङ): चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (24.07.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार (सृजित कार्य दिवसों में) का माहवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरी दरें, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल हैं।		
क्र. सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	300
2	अरुणाचल प्रदेश	234
3	असम	249
4	बिहार	245
5	छत्तीसगढ़	243
6	गोवा	356
7	गुजरात	280
8	**हरियाणा**	**374**
9	हिमाचल प्रदेश गैर-अनुसूचित क्षेत्र	236
9(क)	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र	295
10	जम्मू-कश्मीर	259
11	लद्दाख	259
12	झारखंड	245
13	कर्नाटक	349
14	केरल	346
15	मध्य प्रदेश	243
16	महाराष्ट्र	297
17	मणिपुर	272
18	मेघालय	254
19	मिजोरम	266
20	नागालैंड	234
21	ओडिशा	254
22	पंजाब	**322**
23	राजस्थान	266
24	सिक्किम	249
24 (क)	सिक्किम (3 ग्राम पंचायतें जिनके नाम ग्नथांग, लाचुंग और लाचेन हैं)	374
25	तमिलनाडु	319

26	तेलंगाना	300
27	त्रिपुरा	242
28	उत्तर प्रदेश	237
29	उत्तराखंड	237
30	पश्चिम बंगाल	250
31	अंडमान	329
31(क)	निकोबार	347
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	324
33	लक्षद्वीप	315
34	पुदुचेरी	319

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उपलब्ध कराए गए रोजगार का माहवार विवरण (सृजित कार्य -दिवसों में) (दिनांक 24.07.2024 तक)					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित कार्य दिवस			
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई
1	आंध्र प्रदेश	59837554	67464093	27801708	6348775
2	अरुणाचल प्रदेश	265421	453915	575199	173887
3	असम	3462856	6977243	6759038	2429429
4	बिहार	31030686	39556296	36337184	4039691
5	छत्तीसगढ़	25723894	31823396	18633907	1619054
6	गोवा	2600	6162	7629	2277
7	गुजरात	6937213	7977337	5724750	894619
8	हरियाणा	374926	741726	1606422	354354
9	हिमाचल प्रदेश	3380682	3956937	4032894	1383510
10	जम्मू और कश्मीर	345404	1136545	2267006	1334286
11	झारखंड	13293475	13470847	10739945	3663154
12	कर्नाटक	17492025	22397490	17317304	6894809
13	केरल	2382787	4651083	6200048	3655226
14	लद्दाख	14836	57887	41838	21437
15	मध्य प्रदेश	20355013	26559252	24929480	6840606
16	महाराष्ट्र	18095699	28393657	19896375	4152192
17	मणिपुर	87969	140184	215770	146228
18	मेघालय	309655	825326	1003328	239537
19	मिजोरम	2068727	2087770	1552314	131571
20	नागालैंड	43958	233013	383999	169337
21	ओडिशा	10810882	11754528	9924935	3915753
22	पंजाब	1960777	2652479	2263065	1109337
23	राजस्थान	30168003	54914417	54833954	12010324
24	सिक्किम	60640	206428	203519	228752
25	तमिलनाडु	1150678	5634606	10090480	9682244
26	तेलंगाना	42709555	43014332	12044794	1335328
27	त्रिपुरा	804265	2860727	4006893	2251205
28	उत्तर प्रदेश	30548913	43368323	43765355	7625843

29	उत्तराखंड	1776139	1961938	1647258	417075
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
31	अण्डमान और निकोबार	8389	7617	2990	2563
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12744	1408	58471	6513
33	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34	पुदुचेरी	7273	29621	85373	54151
	कुल	**325523638**	**425316583**	**324953225**	**83133067**

*****